

न्यायालय उप जिला कलेक्टर को

दिनांक	फर्द अहकाम
97/24	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... अमन पुर पधारे हैं पत्रावली गतानुसार दिनांक... 29.7.24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>
29/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई, वादी वकील उपस्थित। वादी वकील को वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 21.8.24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>
21/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी... अमन पुर पधारे हैं । गतानुसार दिनांक... 25.9.24 को पेश हो</p> <p><i>[Signature]</i></p>
25/9/24	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... स्थानीय पीठासीन हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 30.10.24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>
30/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी..... । गतानुसार दिनांक... 20.11.24 को पेश हो।</p>
20.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील को उपस्थित नहीं करा 2 मास डिफरेंस गई इसके बाद भी कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उक्त वादी का उक्त धारण स्थायी निधि चाला खातिर क्रिया जाता है। पत्रावली फेरल सुधार सुक नम्बर से कम करा जायेगा इतरे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>